

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ. 0

22/2/18 शर्मा के नकोल उपाय असादी की तकी
 होकर 22.3.18 को खाली है

22.3.18

न्यायालय कोर्ट के अंतर्गत 0. 10. 18
 कोर्ट के कार्य में बाध है। कारण
 किचनो दिनांक 3/5/18 को 3
 पक्ष पेश हो।

3.5.18

शराबकी डी प्रस्तावित कर्य। एकाध लोक
 प्रदायत कोर्ट कोर्ट में निर्यात योग्य होने में
 शराबकी डी प्रस्तावित/कम्प कोर्ट में
 दिनांक 4/6/18 को गरा है।

4.6.18

न्यायालय कोर्ट अन्वयित/अनुपस्थित/वकील प्रायो/अप
 उपस्थित/अनुपस्थित/अपस्थित में गम्भीर
 को गई। परन्तु अन्वयित/अपस्थित अतः एकाध लोक
 मन्वयित न्यायालय कोर्ट कोर्ट कोर्ट अन्वयित
 दिनांक 27/7/18 को अन्वयित में पेश है।

09.7.18

उपरोक्त पक्ष पत्रों शर्मा
 शर्मा के अपील पर पेशी में ली गई।
 शर्मा के अधिवक्ता श्री वी. नल्लपल्ली उपाय
 शर्मा द्वारा एकाध लोक आदेश को
 निरस्त कर एकाध लोक करने का
 निवेदन किया है। एकाध लोक का
 अवलोकन किया। बाद में शर्मा
 शर्मा को के लक्ष्य दिनांक 02.1.18
 को जारी किया गया एकाध लोक आदेश
 निरस्त किया जाकर अपील
 एकाध लोक किया जाता है।
 तदनुसार अपील होकर बाद
 शर्मा को अपील के निमित्त किया
 शर्मा को अपील है।

शर्मा
 फर्मा
 शर्मा